2024/125

फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम डीडवाना

पुत्र भंवरदान जाति चारण बनाम तहसीलदार - डीडवाना
- हिया रिपा

प्रार्थना पत्र 45 111 RLR Act सं. 48/2024 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अप्रार्थीगण के विरुद्ध अ./धारा 111 RLR Act में पेश किया दर्ज हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। मिसल दिनांक 16.4.24 को पेश हो।

Vikas
सहायक कलक्टर
डीडवाना

26/4/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 16/5/24 को पेश हो।

16/5/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। बार संघ न अदालती कार्य स्थगित रखा है। मिसल दिनांक 11/6/24 को पेश हो।

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 11/7/24 को पेश हो।

11/7/2024 पत्रावली पेश हुई।
वकील उपस्थित।
तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक 1998 दिनांक [illegible] के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल [illegible]
बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश [illegible]
पृथक जारी शामिल पत्रावली रहे।
पत्रावली अपने नम्बर से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 48/2024 दायर दिनाँक 11.07.2024

वादी		प्रतिवादी
1. जेठुसिंह पुत्र भंवरदान जाति चारण निवासी ढिगारिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम व स्थायी निषेधाज्ञा

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 11.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद ढिगारिया, पटवार हल्का खोंजास खेत खसरा सं0 17 रकबा 1.3750 हैक्टे0 भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के खेत खसरा सं0 17 के चिपता ही दक्षिण में एक कटाणी रास्ता पूर्व से पश्चिम खसरा सं0 30 रकबा 0.5100 हैक्टे0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा सं0 30 की खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कटाणी रास्ते पर नरेगा द्वारा कार्य प्रस्तावित था, जिसकी जानकारी होने पर वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत खोजास को लिखित में आवेदन देकर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते पर ही नाप व सीमाज्ञान करवा कर नरेगा कार्य प्रारम्भ किया जावें। वादी ने तहसीलदार डीडवाना को भी लिखित में निवेदन किया कि जहां कटाणी रास्ता राजस्व रिकर्ड नक्शे में दर्ज है वही सीमाज्ञान करवा कर ही निर्माण कराया जावें। आवेदनों की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि वादी के आवेदनों पर ही तहसीलदार ने राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर वादी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं0 17 व रास्ते के खसरा सं0 30 का नाप करने पर पूर्व के सीमांकन में थे तथा सामने आया कि मौका पर मौजुद मुस्तकिन बिन्दुओं का मौजुदा नक्शा से मेल नही खा रहा है, अतः चूंकि उक्त नक्शे का रेखांकन भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ही सही सही नाप किया जाना सम्भव है।

यह है कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा सं0 17 के चिपते ही खसरा सं0 30 रकबा 0.5100 हैक्टे0 भूमि रास्ते की है, जिस रास्ते की चौड़ाई केवल मात्र दो गट्टा ही है। फिर भी राजनैतिक द्वेषता के कारण वादी की भूमि में बिना किसी नाप—चौक सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी किये ही निर्माण करने को आमादा है है। इसलिए भी वादी को उक्त वाद करना लाजमी आया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादी के खेत खसरा सं0 17 रकबा 1.3750 हैक्टे0 भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र 3164 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सरहद ढिगारिया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा सं0 17 की पत्थरगढी करवाने की प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 29.06.2024 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया है जिसकी फर्द प्रति संलग्न है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है व सीमाज्ञान फर्द के अनुसार किसी प्रकार का विवाद होना नही पाया जाता है। रेकॉर्डेड खातेदार होने के कारण प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपयुक्तानुसार प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, सरहद ढिगारिया पटवार हल्का खोजास के खेत खसरा सं0 17 रकबा 1.3750 हैक्टे0 में पत्थर गढी की कार्यवाही सम्पादित करे।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 11.07.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner